


Order Sheet (Subsequent)

2023/770
CNR NUMBER

Number of Case 4/38/ Year 2023

सुभर सिंह के पक्ष में Versus मेहनत सिंह व अन्य
श्रीमान देवराज - DGR13, OGR07, 151 CPL

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of the Order
08/7/24		
30/7/24	<p>पत्रावली पेश। श्रीमान जिला अफ़िलेसगार शाखा जिला कलेक्टर प्रभारी कार्यालय को मूलवाद पत्रावली मंगवाने हेतु पत्र लिखा नहीं जा सका पुनः आज ही पत्र जारी हो। पत्रावली दिनांक 02/8/2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>Prin. K...</i></p>	
02/8/24	<p>पत्रावली पेश। मूलवाद पत्रावली जिला अफ़िलेसगार से प्राप्त हुआ। वल्ले अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्रावली आदेश 08/8/2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>Prin. K...</i></p>	
08/08/24	<p>पत्रावली पेश। वकुलाय उप। उन्नयपस बट्टा सुनी गई। मुताबिक बट्टा अधि. प्रार्थी-" वर्ष 2011 में प्रति. के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई, जबकि प्रतिवादीगण के notices नहीं भेजे गए स्व. दलीप सिंह की पुत्रियों को पतकर नहीं बनाया गया। प्रति. सं. 01 ता 06 की तामिल के संबंध में मूलवाद आदेशिका</p>	

FORM No. 123

(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)

Order Sheet

CNR NUMBER 2023/770

Part of सहायक कलेक्टर (फाल्गुन) at जोधपुर
 Kind of the Case अन्तर्गत धारा 09 R13, 09 R07, 15 & CPC
 Number of Case C/38/ Year 2023
सुमेर सिंह के फाउंडे Versus महेन्द्र सिंह व अन्य

Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
--	---------------------------------------

में उल्लेखित नहीं हैं। प्रतिवादीगण को बिना सुने आदेश पारित किया गया है, अतः प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर दिया जावे।"

मुताबिक बहस अर्थात् अपाथी - "वादी, प्रतिवादी एक ही परिवार, एक ही गाँव के हैं, आदेशिका दिनांक 26/05/11 से स्पष्ट है कि प्रति. को वाद की जानकारी थी। अतः प्रा. पत्र स्वार्थिज फरमाया जावे।"

उपरोक्त तथ्यों, बहस, दस्तावेजों के आधारे पर प्रा. पत्र का निस्तारण निम्नानुसार किया जाता है:-
 "As per 09 R7 CPC - where the court has adjourned the hearing of the suit, ex parte & the defendant, at or before such hearing appears & assigns good cause for his previous non-appearance, he may, upon such terms as the court directs, be heard in answer to be suit as if he had appeared on the day fixed for his appearance."
 09 R13 CPC - In any case in which a decree is passed ex parte against a defendant, he may apply to the court by which the decree was

Order Sheet (Subsequent)

2023/770
CNR NUMBER

Number of Case C/38/ Year 2023

शुभर सिंह के वरिष्ठ
विरुद्ध श्री. ए. व. शर्मा
विरुद्ध श्री. ए. व. शर्मा
विरुद्ध श्री. ए. व. शर्मा


Versus 118/07/151 CPC
09R07 151 CPC

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of contents of the Order
------	--	-------------------------------------

passed for an order to set it aside & if he satisfies the court that summons were not duly served or that he was prevented by any sufficient cause from appearing, the court shall make an order setting aside the decree.

अत्रिलेखवागार से प्राप्त मूलवाद पत्रावली अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 18/05/11 को समस्त प्रतिवादीगण (कुल 10) की reg A& की गई, जिसमें से प्रति. सं. 0.7 ता 09 डाक डाक लेने से इंकार करने पर तामिल माना गया। आदेशिका दिनांक 22/09/11 को 04 माह की अवधि बीत जाने पर तामिल presume की गई

मूलवाद के साथ संलग्न अमाबंदी से स्पष्ट है कि राजस्व record में दलीप सिंह के वारिसान के तौर पर केवल उच्छव कंवर का नाम अंकित है इसी आचार पर वर्ष 2011 में प्रा. डि. जारी की गई उपरोक्त के आचार पर प्रा. पत्र खारिज किया जाता है आदेश सुनाया गया। पत्रावली फंसल- शुमार होकर दारिजल- प्रकृत हो



Prinjal
सहायक कलक्टर
स्टैंड इंक) जोधपुर